

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 30/2022

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री शक्तिरिंह निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.03.2024



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 5055 दिनांक 03.02.2019 क्षेत्रफल 1674 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद, सिरोही ने दौरान बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा गैर आवासीय मकान का विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विधिविरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 154 की पूर्ण अवहेलना करते हुए विक्रय विलेख जारी किया गया है। यह है कि नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन पक्षों की मौका कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण में प्रार्थी का पुराना मकान बतौर पुराना एवं परिवार की जांच करने पर व भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर चार दीवारों का है।

जिला कलक्टर, सिरोही

निर्माण कार्य किया हुआ है एवं शेष भूखण्ड खाली पडा है, जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अपने पद की अधिकारिता से परे जाकर खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए दूषित कार्यवाही कर दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाकर उक्त विक्रय विलेख जारी किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 5055 दिनांक 03.02.2019 क्षेत्रफल 1674 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमों के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-दो द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है। यह है कि पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का पुराना मकान बना हुआ होने से एवं पुराना कब्जा मौके पर होने से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था। प्रार्थी ने बिना जांच पडताल किए निर्माण कार्य को नहीं बताकर कानूनी व वाक्यातन भूल करते हुए निगरानी पेश की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में आवस्य भूमि का ही विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, जिसकी अप्रार्थी संख्या दो नियमानुसार पात्रता रखता था, उसके ही आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभौति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 5055 दिनांक 03.02.2019 क्षेत्रफल 1674 वर्गफुट सरपंच ग्राम पंचायत, झाड़ौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत रूपए 200/- की राशि लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-


157.-पुराने गृहों का विनियमितकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:

जिला कलेक्टर, सिरौही

- क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रुपये सन्निर्मित पुराने गृहों के लिए।
 ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रुपये सन्निर्मित पुराने गृहों के लिए।

चूंकि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों का पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु श्री वीरेन्द्र व्यास अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, श्री जगदीश सुथार सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही एवं श्री कालूराम खौड अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ग्राणीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जरिए पत्र क्रमांक:F.4(7)Ame./Rules/Legal /PR/2012/135 दिनांक 11.02.2013 के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक निर्मित भवन/मकान के क्षेत्रफल तथा इस निर्मित एरिया के 25 प्रतिशत तक की उसके उपयोग में आने वाली कब्जेशुदा भूमि का सम्मिलित कर पट्टा जारी किया जाएगा, परन्तु ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा पंचायतीराज विभाग के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्मित भवन/मकान का पट्टा जारी नहीं किया जाकर खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या दो का मकान जर्जर अवस्था में होने से उसे हटाकर उसके स्थान पर नया निर्माण कार्य किया जा रहा था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि पूर्व में अप्रार्थी संख्या दो का मकान बना हुआ हो अथवा उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई पुराना निर्माण किया हुआ हो एवं जर्जर मकान के मलबे को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एन.ओ.सी. ली गई हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अतः अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे हैं कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर पूर्व में मकान बना हुआ था या किसी भी प्रकार का कोई पुराना निर्माण किया हुआ हो, जिसे बाद में जर्जर होने पर हटा दिया गया हो। अतः पत्रावली पर पुराने निर्माण कार्य का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जिसका पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी नहीं किया जा सकता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा गठित तीन सदस्य कमेटी, जिसमें श्री अशोक कुमार कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पिण्डवाडा, श्री देवाराम सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं श्री चुन्नीलाल घांची सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा शामिल थे, उक्त तीन सदस्य कमेटी द्वारा बनाई गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट, जो जरिए पत्र क्रमांक/पसपि/2021/527 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को भेजी गई थी, उक्त रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर चार दीवारी का ही निर्माण कार्य किया गया है एवं मौके पर भूखण्ड खाली पडा हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा नियम 148 के तहत एक



 जिला कलेक्टर, सिरोही

माह का आपत्ति नोटिस किस स्थल पर एवं किसके द्वारा चरपा किया यह स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे उक्त पट्टे की कार्यवाही पर संदेह पैदा होता है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अपने अधिकारों से विपरीत जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को यह न्यायालय न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 5055 दिनांक 03.02.2019 क्षेत्रफल 1674 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही